प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉंची की अध्यक्षता में दिनांक 11.0.3.2019 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः उपस्थिति पंजी के अनुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉंची की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2019 को अपराह्न 11.00 बजे कार्यालय सभागार में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विषयों पर उपस्थित पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गयी।

1. ESZ में अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति की प्रक्रिया

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रेषित प्रारूप पर बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से आपत्ति/संशोधन हेतु सुझाव मॉंगा गया। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा प्रश्नगत प्रारूप पर अपनी सहमति जतायी गयी एवं प्रारूप को उपयुक्त बताया गया।

2. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर–वनभूमि की उपयुक्तता निर्धारण हेतु SoP

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता के पारामीटर निर्धारित करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। प्र० मु०व०सं०एवं का० नि०, बं० भू० वि० बो०, झारखण्ड, रॉंची के द्वारा इस विषय पर बताया गया कि उनके द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मंतव्य मांगा गया है। उनसे अनुरोध किया गया कि अगले 15 दिनों में SoP प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को समर्पित करें।

[कार्रवाईः प्र०मु०व०सं० एवं का० नि०, बं० भू० वि० बो०, झारखण्ड]

3. खैर वृक्षों के अवैध पातन/अवैध कत्था निर्माण/अवैध अफीम की खेती पर प्रभावी रूप के लिए योजना

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से इस विषय पर प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन एवं मंतव्य के अनुसार मात्र हजारीबाग एवं पलामू रीजन में वनभूमि पर अफीम की खेती के दृष्टांत होने की सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि सभी मामलों में वनकर्मियों एवं पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। खैर वृक्ष के पातन एवं कत्था निर्माण की छिटपुट घटनाएँ प्रतिवेदित है जिनपर रोक लगाने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सघन गश्ती जारी रखी जाय एवं सभी मामलों में कठोरतापूर्वक कार्रवाई की जाय। यह निर्देश भी दिया गया कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर अफीम की खेती से संबंधित अभियोजन पर उनके स्वंय के स्तर से भी अनुश्रवण कर अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाय। ऐसे मामलों की त्वरित सूचना आरक्षी अधीक्षक एवं NCB को भी देते हुए उनसे भी कार्रवाई का आग्रह किया जाय।

[कार्रवाईः क्षे०मु०व०सं०(सभी)/मु०व०सं०(वन्यप्राणी)/मु०व०सं० एवं क्षे०नि०(पी०टी०आर०)/व०सं०,प्रादेशिक(सभी)/व०प्र०पदा०,प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी (सभी)]

4. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर–वनभूमि एवं वनों को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने के प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि सभी प्रादेशिक पदाधिकारी (क्षे०मु०व०सं० / मु०व०सं० / व०सं० / व०प्र०पदा०) उनके अधीन प्राप्त भूमियों को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने के प्रस्ताव निम्नलिखित अभिलेखों के साथ <u>एक सप्ताह के अंदर</u> अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड को समर्पित करेंगे:–

(i) संबंधित भूमि के Non-encumbrance certificate की अभिप्रमाणित प्रति;

(ii) संबंधित भूमि के निबंधन पट्टा एवं दाखिल खारिज (Mutation) की अभिप्रमाणित प्रति;

(iii) संबंधित भूमि की चौहद्दी के जी०पी०एस० कोऑर्डिनेट्स;

(iv) संबंधित भूमि के राजस्व मैप की अभिप्रमाणित प्रति एवं

(v) प्लाटवार भूमि का रक़बा – (व०प्र०पदा० एवं वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)।

साथ ही संलग्न **अनलग्नक–1** में प्रमण्डलवार संकलित सूचना भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड को भेजेंगे एवं साथ ही साथ www.forest.jharkhand.gov.in पर Land Management System एप्लीकेशन में आवश्यक एन्ट्री भी कराएगें।

[कार्रवाई: क्षे०मु०व०स०(सभी) / मु०व०सं०(वन्यप्राणी) / मु०व०सं० एवं क्षे०नि०(पी०टी०आर०) / व०सं०,प्रादेशिक(सभी) / व०प्र०पदा०,प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी (सभी)]

5. वनाधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों / शिकायत–पत्रों पर कार्रवाई

(क) गत माहों में Community Forest Resource Rights (CFRR) से संबंधित कई शिकायत / परिवाद पत्र प्राप्त हुए है। मुख्य रूप से यह शिकायत की जा रही है कि ग्राम सभा स्तर पर की जाने वाले बैठकों में वन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं जिसके कारण उनके CFRR के आवेदन लंबित हैं। **शिकायतकर्त्ताओं द्वारा वन अधिकारियों पर वनाधिकार अधिनियम की धारा–7 एवं 8 के तहत मुकदमा चलाने की मॉग भी की जा रही है।** सभी प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी ध्यान देकर ऐसे सभी शिकायत पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर अपने–अपने क्षेत्रीय / मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन भेजें ताकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तर अनुश्रवण समिति में ऐसी शिकायतों का निपटारा कराया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

[कार्रवाई: क्षे०मु०व०स०(सभी) / मु०व०सं०(वन्यप्राणी) / मु०व०सं० एवं क्षे०नि०(पी०टी०आर०) / व०सं०,प्रादेशिक(सभी) / व०प्र०पदा०,प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी (सभी)]

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे वाद संख्या WP 109/2018 (Wildlife & others Vs. MoEF CC & ors.) के क्रम में प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों के वन विभागों से ऐसे भूखण्डों के Polygons मॉगे गए हैं जिन पर STs एवं OTFDs के दावे राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निरस्त (reject) कर दिये गये हैं।

उपर्युक्त polygons shapefile (.shp, projection system UTM एवं datum WGS84) में अनुलग्नक–2 में प्रदत्त प्रारूप में वांछित जानकारी से युक्त होने चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि जुलाई 2019 है। अतः उक्त polygons सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी (प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी) एक माह के अंदर (10.05.2019 तक) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

[कार्रवाईः क्षे०मु०व०स०(सभी) / मु०व०सं०(वन्यप्राणी) / मु०व०सं० एवं क्षे०नि०(पी०टी०आर०) / व०सं०,प्रादेशिक(सभी) / व०प्र०पदा०, प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी (सभी)]

6. सरकारी कर्मचारियों को ग़लत निर्धारण के फलस्वरूप वेतन एवं विभिन्न भत्तों के रूप में अधिक किए गए भुगतान की वसूली के संबंध में

हाल में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय कर्मियों को ग़लत ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० स्वीकृति के फलस्वरूप वेतनादि मद में मान्य से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के विरूद्ध कई अवमानना वाद दायर किए गए हैं। इस संदर्भ में कई बार निर्देश दिया जा चुका है कि ग़लत ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० / वेतन / भत्तों आदि की स्वीकृति के फलस्वरूप हुए अधिक भुगतान के मामलों में योजना एवं वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के संकल्प संख्या–151 / वि०पे० दिनांक 08.11.2011 जो कि वन०पर्या०ज०प०विभाग के पत्र संख्या–3बी० / क्षे०स्था० (वनपाल) मु०–01 / 2019–484 / व०प० दिनांक 30.01.2019 द्वारा संचारित है को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाय अथवा कटौती नहीं करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाय। किन्तु अभी तक एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, और अवमानना वाद बदस्तूर जारी है। यह क्षेत्रीय अधिकारियों के indifference का एक दुखद उदाहरण है। क्षेत्रीय / मुख्य वन संरक्षक ध्यान देकर 25.04.2019 तक प्रस्ताव / अद्यतन स्थिति **अनुलग्नक–3** में समर्पित करें। साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० / वेतन निर्धारण आदि के भुगतान की स्वीकृति के मामलों में पूर्ण सावधानी अवश्य बरती जाय। त्रुटिपूर्ण स्वीकृति के फलस्वरूप सरकार को हुई क्षति के लिए दोषी पदाधिकारियों से मान्य से अधिक भुगतान की राशि वसूल की जायेगी।

[कार्रवाईः सभी कार्यालय प्रधान।]

7. माननीय उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों की पैरवी

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित वादों की पैरवी से संबंधित त्वरित कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से अपने उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराते रहें एवं झारखण्ड वन विभाग की अधिकृत वेबसाईट पर प्रदत्त app (Court Cases Monitoring System) में भी इसकी प्रविष्टि 24 (चौबीस) घंटे के अंदर करें। कठिनाई होने पर उच्च पदाधिकारियों से विमर्श कर शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई करें।

[कार्रवाईः सभी कार्यालय प्रधान।]

8. TDS का बकाया एवं विलंबित भुगतान पर उद्भूत ब्याज एवं late filing fee

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश तथा उनके पत्रांक 1007 दिनांक 11.03.2019 द्वारा दिये गये अंतिम स्मार का स्मरण करें। इसके द्वारा विभिन्न कार्यालयों में बकाया आयकर की वर्षवार सूची आपको भेजी गयी है। यह सूची सभी पदाधिकारियों को बैठक में उपलब्ध करा दी गयी थी। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अपने–अपने कार्यालय के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 (जुलाई) तक का बकाया TDS एवं ब्याज/शुल्क की राशि की समीक्षा कर 30.06.2019 तक इस मामले में जो भी अग्रेतर कार्रवाई होनी है, उसे पूरा कर लें। इसके पश्चात् किसी कार्यालय में 2016–17 (जुलाई) के पूर्व का कोई बकाया लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाय कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के बाद TDS लंबित रहने की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के वेतन से दण्ड राशि का भुगतान करना होगा। झारखण्ड सरकार, योजना–सह–वित्त विभाग का पत्रांक 25/आयो०/70/2016/2093/वि० दिनांक 21.07.2016 (अनुलग्नक–4) दृष्टव्य है। विलंबित भुगतान संबंधी इस पत्र में दिए गए निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

[कार्रवाईः सभी कार्यालय प्रधान।]

9. कैम्पा कार्यो का Polygon Uploading

माह फरवरी 2019 तक मात्र 3,066 पॉलीगोंस को e-Greenwatch Portal पर अपलोड किया गया है जिसमें से आधे से अधिक पॉलीगोंस ग़लत पाये गये हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है। वित्तीय वर्ष 2017–18 तक के पॉलीगोंस अपलोडिंग त्रुटिहीन रूप से 15.04.2019 तक, एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 तक के पॉलीगोंस अपलोडिंग त्रुटिहीन रूप से 30.06.2019 तक पूर्ण कर लेने हेतु निर्देश दिया गया। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक इसके लिए विशेष अनुश्रवण करते रहेंगे। उनकी यह स्वयं की जिम्मेवारी होगी कि समय से अर्थात् कमशः 15.04.2019/30.06.2019 तक अपलोडिंग का कार्य पूर्ण हो जाए।

[कार्रवाईः क्षे०मु०व०स०(सभी)/मु०व०सं०(वन्यप्राणी)/मु०व०सं० एवं क्षे०नि०(पी०टी०आर०)/व०सं०,प्रादेशिक(सभी)/ व०प्र०पदा०,प्रादेशिक एवं वन्यप्राणी (सभी)]

(signature) 5/4/19
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची।

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11E19(A)III-03/2018-20/आ०व्या० राँची, दिनांक : 06.04.2019

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी)/मुख्य वन संरक्षक (सभी)/वन संरक्षक (सभी)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार उनसे आग्रह है कि बैठक में लिए गए निर्णय/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा दिए गए निदेशों का समय से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

(signature) 05.04.2019
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक—1

Details of Compensatory Affn. Land (non forest land/forest land not notified/IFA) received under FC Act 1980

S. No.	Name of Division	Range	Name of Project	User Agency	Name of Mauza	Thana & Thana No.	Plot No.	Area(in Ha.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुलग्नक–2

1.	Name of claimant (Claim Id if any)	:	
2.	Category (ST/OTFD)	:	
3.	Village	:	
4.	Gram Panchayat	:	
5.	Forest Division	:	
6.	Forest Range	:	
7.	Forest Beat	:	
8.	Forest Compartment	:	
9.	Status of eviction	:	

10. Specifications of the georeferenced vector boundary of land parcels for which claims have been rejected:

    Datum-WGS 84

    Projection System – UTM

    Format- Shape file (.shp)

अनुलग्नक- 3

गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप की जाने वाली कटौतियों की विवरणी

क0सं0	कार्यालय का नाम	कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पदनाम	गलत वेतन निर्धारण का आधार				अधिक राशि वसूली का आदेश (आदेश जारी करने वाले पदा0 का पदनाम, आदेशांक एवं दिनांक	क्या कटौती को माफ करना है ?	यदि हाँ तो प्राधिकृत समिति के विचार हेतु प्रस्ताव भेजने की स्थिति (प्र0मु0व0सं0 को भेजा गया पत्रांक/दिनांक)	अभ्युक्ति
				प्रथम ACP/MACP में त्रुटि	द्वितीय ACP/MACP में त्रुटि	तृतीय ACP/MACP में त्रुटि	अन्य कारण से गलत वेतनमान निर्धारित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

पत्रांक – 25 / आयो० / 70 / 2016 / 2093 / वि०　　　अनुलग्नक-4

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

रॉची, दिनांक : 21.07.2016

प्रेषक,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

विषय : आयकर की कटौती का केन्द्र सरकार के खाते में कृत विलम्बित भुगतान पर उदभूत ब्याज तथा तद्जनीत late filing fee के भुगतान के सम्बन्ध में ।

महाशय,

विषयगत सम्बन्ध में यहाँ से पूर्व प्रेषित पत्रांक–25 / आयो० –70 / 2016 / 893, दिनांक–23.03.2016 द्वारा आयकर कटौती का त्रैमासिक प्रतिवेदन ससमय आयकर विभाग को समर्पित करने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा आयकर के विलम्बित भुगतान पर उदभूत ब्याज तथा इसके late filing fee के भुगतान–शीर्ष के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा की गयी है ।

राज्य सरकार के सेवियों के वेतन से अग्रिम / अन्तिम आयकर की कटौती तथा राज्य सरकार से कृत समव्यवहार जनीत उद्भूत आयकर की कटौती का ससमय केन्द्र सरकार के विहित लेखा में किया जाना विभाग / कार्यालय का अपरिहार्य दायित्व है । ऐसा किया जाना प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व भी है । आयकर की कटौतियों का विलम्बित जमा वैधानिक तौर पर late filing fee तथा अनुमान्य ब्याज की देयता का प्रावधान करता है । ऐसी देयताओं से विमुक्ति का कोई विकल्प नहीं है । ऐसी स्थिति में आयकर कटौतियों का ससमय एतदर्थ विहित खाते में जमा किये जाने की अपरिहार्यता और बाध्यकारी हो जाती है ।

उपरोक्त वैधानिक अपरिहार्यता के दृष्टिकोण से स्वभाविक तौर पर इस तरह की कटौतियों को विहित खाते में जमा करने में हुए विलम्ब अकल्पनीय है । फलस्वरूप, ऐसे दण्ड शुल्कों के भुगतानार्थ किसी बजट शीर्ष का सृजन और एतदर्थ प्रावधान किया जाना तार्किक भी नहीं है । इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखा जाय कि आयकर की कटौतियों का केन्द्र सरकार के विहित खाते में अविलम्ब जमा सुनिश्चित हो ताकि विलम्बित भुगतान पर ब्याज तथा इसके late filing fee के भुगतान की नौबत ही न आये ।

वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आयकर के प्रतिवेदित विलम्बित भुगतान पर उद्भूत ब्याज तथा इसके late filing fee का भुगतान कार्यालय व्यय की उपबंधित राशि से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय । एतदर्थ, उपरोक्त इकाई में राशि अल्प होने की स्थिति में, पुनर्विनियोग से राशि की व्यवस्था की जा सकती है । किसी भी स्थिति में अनुपूरक या जे०सी०एफ० से संदर्भित भुगतान के लिए प्रावधान स्वीकृत नहीं होंगे ।

अतः आयकर के अबतक के प्रतिवेदित विलम्बित भुगतान पर उद्भूत ब्याज तथा इसके late filing fee के भुगतान को उपरोक्त निदेशित इकाई से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय । इसके बाद, अत्यापरिहार्य कारणों को छोड़कर, प्रत्येक विलम्बित देयताओं के भुगतान के लिए सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे तथा सरकारी कोष से इसका भुगतान नहीं किया जायेगा ।

21.7.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव ।